



2026:AHC:59107

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9801 वर्ष 2026

अमर कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 66

माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति

1. श्री अनुज बाजपेई, विद्वान अधिवक्ता, श्री ओम प्रकाश सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित, तथा श्री शत्रुहन यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) राज्य की ओर से उपस्थित, को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 177 वर्ष 2025, धारा 115(2), 352, 80(2), 85 बीएनएस तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना जियनपुर, जिला आजमगढ़ में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक यद्यपि मृतका का पति है, परन्तु मिथ्या आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे निवेदन किया कि वास्तव में पति दिल्ली में मजदूरी करता था और मृतका हमेशा उसके साथ रहने पर जोर देती थी और केवल इसी कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था और घटना के दिन पुनः पति-पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ और इस बार उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया और मर गई और यहाँ तक कि मृतका की विसरा रिपोर्ट से भी यह संकेत मिलता है कि उसकी मृत्यु कीटनाशक के सेवन से हुई।
5. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के छः वर्ष ग्यारह माह से अधिक समय पश्चात् हुई और यह तथ्य पुनः यह संकेत देता है कि यह दहेज मृत्यु का मामला नहीं है क्योंकि यह अत्यन्त असम्भव है कि विवाह की इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् भी आवेदक दहेज की माँग के लिए मृतका को प्रताड़ित करेगा।
6. उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 25.09.2025 से अर्थात् पिछले छः माह से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए)ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर किए गए तर्क का खण्डन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके वैवाहिक घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई और सोने की चेन और अँगूठी की माँग के संदर्भ में प्रताड़ना का भी आरोप है, परन्तु मृतका की विसरा रिपोर्ट को देखते हुए, इस स्तर पर मृतका द्वारा की गई आत्महत्या की संभावना और आवेदक द्वारा प्रकट की गई आत्महत्या की कारण को इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।
10. इसके अतिरिक्त, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के छः वर्ष ग्यारह माह पश्चात् भी हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 25.09.2025 से अर्थात् पिछले छः माह से जेल में निरुद्ध है।
12. इसके अतिरिक्त, विधि सुस्थापित है कि जब तक दोषसिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को न तो दण्डात्मक और न ही निवारक उद्देश्य से अस्वीकार किया जाना चाहिए।
13. इसलिए, उपरोक्त विवेचित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।
15. उपर्युक्त मामले में आवेदक - **अमर कुमार** को व्यक्तिगत मुचलका और उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-
 - (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से निरुत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण के संदर्भ में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 मार्च, 2026

ए.के. पाण्डेय

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।